अध्याय-I

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की संभावनाएं

2010-11 के दौरान पूंजी और चलनिधि के पर्याप्त रिजर्व एवं लाभप्रदता और आस्ति गुणवत्ता के बेहतर प्रदर्शन के चलते देशी बैंकों ने वृद्धि का प्रबंधन सुदृढ़ता से करना जारी रखा। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि की उच्च संभावनाओं एवं अनुकूल जनसांख्यिकी के चलते बैंकों के पास पर्याप्त संभावनाएं हैं कि वे पारंपरिक तथा नवोन्मेषी उत्पादों के जरिए एवं प्रौद्योगिकी आधारित वहनीय कारोबारी मॉडलों का उपयोग करके वित्तीय समावेशन के जरिए अपने कारोबार को और बढ़ा सकते हैं। परंतु वर्तमान के ब्याज दर के माहौल एवं ब्याज दर के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में कुछ असंतुलित एक्सपोजरों के चलते अल्पावधि में वृद्धि की दर में कमी आने को देखते हुए आगे चलकर ऐसे एक्सपोजरों का प्रबंधन दक्षता के साथ करने की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा, उच्च वृद्धि दर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पूंजी एवं चलनिधि जुटाना एवं बासेल III की अपेक्षाओं को पूरा करना बैंकों के लिए एक चुनौती होगी। इसके लिए बैंकों को नवोन्मेषी एवं आकर्षक बाजार आधारित निधीयन के चैनलों का उपयोग करना होगा, विशेष रूप से तब जब पूंजी प्राप्त करना कठिन हो तथा राजकोषीय स्थितियों के कारण सरकारी समर्थन प्राप्त न हो। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने की चुनौती से निपटने के लिए बैंकों को सूचना प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन सहित मूलभूत ढांचे का उन्नयन करना होगा। समावेशी वृद्धि के प्रति फोकस को देखते हुए बैंकों को चाहिए कि वे वित्तीय समावेशन के दायरे को बढ़ाने हेतु नए सिरे से प्रयास करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य कारोबारी मॉडलों का उपयोग करें। अंत में, जोखिमों को कम करने हेतु निरंतर किए गए रणनीतिगत प्रयास, राजस्व के स्रोतों को व्यापक बनाने, आस्ति-देयता के असंतुलनों को सीमित करने, वैश्विक बाजार के बदलते परिवेश के प्रति प्रभावी उपाय करने तथा ग्राहक सेवा में सुधार जैसे उपायों से मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र की समग्र वृद्धि को बल मिल सकता है।

1.परिचय

1.1 भारत का बैंकिंग क्षेत्र 2007-08 के वैश्विक वित्तीय संकट से लगभग अप्रभावित होकर बाहर निकला परंतु व्यापार, वित्त तथा विश्वास के स्तर में कमी आने के चलते इसने वृद्धि दर में कमी की समस्या का सामना किया। परंतु संकट के बाद भारत सहित अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में आर्थिक वृद्धि में सुधार आया जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि की दर कमजोर बनी रही। यूरो क्षेत्र में सरकारी ऋण बाजारों में अस्थिरता, मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) क्षेत्र में अशांति, जापान की आपदा, इस वर्ष अगस्त में अमरीका के सरकारी ऋणों को डाउनग्रेड किये जाने एवं पण्यों की कीमतें निरंतर उच्चतर स्तर पर बनी रहने से वैश्विक वृद्धि में कमी आने का जोखिम उत्पन्न हुआ। जहां इन जोखिमों के समय के साथ क्रमशः कम होते जाने की संभावना है वहीं भारत में उच्चतर वृद्धि की स्थिरता लंबे समय तक बनी रहना मुख्यतः बैंकिंग क्षेत्र द्वारा जमाराशियों के संग्रहण की क्षमता एवं नवोन्मेषी वित्तीय लिखतों एवं सेवाओं के जरिए बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण की जरूरतों को पूरा किये जाने पर निर्भर करेगा जिससे वित्तीय समावेशन में बढ़ोतरी हो सके एवं कर्ज की सुविधा का लाभ दक्षता के साथ एवं पारदर्शी तरीके से मिल सके।

1.2 घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न महत्त्वपूर्ण चुनौतियों के बावजूद 2010-11 के दौरान भारतीय बैंकों का निष्पादन बेहतर रहा। बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता पूंजी के आधार, आस्तियों की गुणवत्ता एवं लाभप्रदता में हुए सुधार में देखी जा सकती है। अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की लाभप्रदता में आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) एवं ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) दोनों ही दृष्टि से सुधार हुआ। साथ ही सकल तथा निवल अनर्जक आस्ति अनुपातों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट आई। चूंकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में बैंकों की प्रमुखता है अतः समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए दबाव सहने की बैंकों की क्षमता की भूमिका महत्त्वपूर्ण हो जाती है। क्रेडिट, चलनिधि तथा ब्याज दर जोखिम के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कई चक्रों में

किये गये दबाव परीक्षण ने दर्शाया है कि बैंक काफी हद तक सुदृढ़ हैं। तथापि, कड़े आघात की स्थिति में कुछ बैंकों में चलनिधि की थोड़ी समस्या हो सकती है जिससे उनकी लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है।

1.3 वैश्विक गतिविधियों के परिदृश्य का एक विस्तृत विवरण वैश्विक बैंकिंग गतिविधियां शीर्षक अध्याय II में दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के संबंधित परिदृश्य का विवरण दिया गया है।

2. परिवेश को स्वरूप देनेवाले तत्व

क्या भारतीय बैंक बासेल III व्यवस्था की ओर अग्रसर होने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है?

1.4 भारत में वाणिज्य बैंकों ने बासेल II के अंतर्गत मानक दृष्टिकोणों का पहले ही पालन कर लिया है। अब समय आ गया है कि बड़े बैंकों को अपनी प्रणालियों को उन्नत करने एवं उन्नत दृष्टिकोण की ओर अग्रसर होने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। उन्नत दृष्टिकोण को अपनाने पर बैंकों को अपने दैनिक जोखिम प्रबंधन में अंतर्निहित प्रक्रियाओं को भी एकसाथ उपयोग करना जरूरी होता है। हाल के वैश्विक विनियमन संबंधी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अक्सर यह पूछा जाता है कि क्या भारतीय बैंक बासेल III के लिए तैयार है? बासेल III के आधारभूत जरूरतें अब स्पष्ट हो चुकी हैं: उच्चतर तथा बेहतर गुणवत्तावाली पूंजी; अत्यधिक जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समायोजित लिवरेज अनुपात; पूंजी बफरों का निर्माण जिनको अच्छे समय में बढ़ाया जा सकता है ताकि दबाव के समय में इनका उपयोग किया जा सके; न्यूनतम वैश्विक चलनिधि मानक; तथा पर्यवेक्षण, सार्वजनिक घोषणा एवं जोखिम प्रबंधन के सुदृढ़ मानक। मोटे आकलन से स्पष्ट होता है कि समग्र स्तर पर भारतीय बैंकों को पूंजी संबंधी नये नियमों के साथ मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से सामंजस्य बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। भारतीय बैंक पूंजी के नए नियमों के अनुपालन की दृष्टि से बेहतर स्थिति में हैं।

1.5 ध्यान दी जाने वाली एक बात यह है कि यह तुलनात्मक स्थिति समेकित स्तर की है; कुछेक बैंकों के मानदंड बासेल III की अपेक्षाओं से कम हो सकते हैं और उन्हें अपनी पूंजी के स्तर में वृद्धि करनी होगी। अधिक कठोर विनियामक व्यवस्था के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को उन्नीत करके तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की कर्ज संबंधी जरूरतों को पूरा करने में भी चुनौतियां आएंगी। प्रतिचक्रीय पूंजी बफरों के अतिरिक्त, बासेल III प्रतिचक्रीय प्रावधानों की भी अपेक्षा रखता है।

1.6 भारत में बैंकों के पास चल प्रावधानों का आधार है परंतु रिज़र्व बैंक ने प्रणालीगत दबाव की स्थिति को छोड़कर इसके उपयोग की अनुमति नहीं दी है। चल प्रावधान जहां प्रतिचक्रीय प्रावधान की जरूरतों को पूरा कर सकता है वहीं इसके उपयोग के संबंध में एक ढांचे का होना जरूरी है। अस्थायी उपाय के रूप में रिज़र्व बैंक स्पेन की डाइनामिक प्रोविजनिंग प्रणाली की तर्ज पर एक पद्धति विकसित करने का प्रयास कर रहा है। परंतु आंकड़ों की कमी तथा बैंकों की विश्लेषण की क्षमता को देखते हुए यह कार्य आसान नहीं लगता। बासेल III की ओर अग्रसर होने के लिए चल आस्तियों के एक पूल के जरिए चलनिधि के उच्च स्तर को बनाए रखना जरूरी है। चल आस्तियों की परिभाषा काफी कठोर है जिसमें यह अपेक्षा भी शामिल है कि वह जब चाहे तब उपलब्ध होनी चाहिए।

क्या भारतीय बैंक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय तथा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईएफआरएस) अपनाने के लिए तैयार है?

1.7 वैश्विक लेखांकन मानकों अर्थात् आईएफआरएस को अपनाने से विभिन्न देशों में कार्यरत उद्यमों के बीच तुलना करने में सुविधा होती है। लेखाविधि में एकरूपता से उद्योग को पूंजी की लागत तथा अनुपालन संबंधी व्यय दोनों को कम करने में मदद मिलती है। आईएफआरएस के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण, शिक्षा तथा कौशल का विकास महत्त्वपूर्ण है। निवेशकों, लेखाकारों, लेखा परीक्षकों, ग्राहकों, सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर वेंडरों, रेटिंग एजेंसियों, विश्लेषकों, लेखा परीक्षा समितियों, अक्चूरियों, मूल्यांकन विशेषज्ञों एवं अन्य विशेषज्ञों को आईएफआरएस के प्रावधानों तथा इससे जुड़े उनके कार्यों के बारे में अपेक्षित स्तर की समझ होनी चाहिए। आईएफआरएस को अपनाने की ओर बैंक कितनी सफलतापूर्वक आगे बढ़ पाते हैं वह इस बात पर निर्भर करेगा कि न केवल लेखांकन संबंधी मुद्दों बल्कि गैर-लेखांकन संबंधी मुद्दों का हल किस प्रकार किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को आईटी तथा मानव संसाधन सहित अपने

ढांचागत आधार को उन्नीत करना होगा ताकि आईएफआरएस की जटिलताओं और चुनौतियों का सामना किया जा सके। लेखांकन विधियों को समरूप बनाने की प्रक्रिया के दौरान भारतीय बैंकों के सामने आनेवाली कुछ प्रमुख तकनीकी मुद्दों में आईएफआरएस तथा वर्तमान के विनियामक दिशानिर्देशों में स्थित अंतर है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस) 39 के प्रतिस्थापन की परियोजना है जो वित्तीय आस्तियों और देयताओं के वर्गीकरण और मापन से संबंधित है।

बैंकिंग क्षेत्र की अंतरसंबद्धता और वित्तीय प्रणाली की कमजोरी

1.8 संकट के बाद प्रणालीगत जोखिम के समाधान हेतु समष्टि-विवेकपूर्ण नीति एक महत्त्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरकर आयी है जो इसके समय एवं अंतर-अनुभागीय आयाम को दर्शाती है। जहां समय संबंधी आयाम उन अनुचक्रीय तत्वों को दर्शाता है जिनसे समय के साथ सकल जोखिम उत्पन्न होता है, जबकि अंतर-अनुभागीय आयाम का संबंध जोखिमों के वितरण से है जिसमें वित्तीय प्रणाली की अंतर संबद्धता के चलते बढ़ोतरी हो सकती है। विवेकपूर्ण विनियमन के संबंधी चर्चा में समष्टि-वित्तीय निगरानी के एक हिस्से के रूप में वित्तीय अंतर-संबद्धता एक प्रमुख मुद्दा है क्योंकि इससे समग्र वित्तीय प्रणाली में विशेष प्रकार के आघातों में वृद्धि हो सकती है। वित्तीय प्रणाली की समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी की प्रभावी प्रणाली स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ने अंतर-बैंक एक्सपोजरों की अभिकल्पना हेतु नेटवर्क विश्लेषण पद्धति का उपयोग करना शुरू कर दिया है। विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि भारत में वित्तीय क्षेत्र एक दूसरे से काफी गहराई तक जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, नेटवर्क विश्लेषण के आधार पर किए गए संक्रमण विश्लेषण से यह बात उभरकर आयी कि बैंकिंग क्षेत्र की अंतर-संबद्धता से एक या एकाधिक बैंकों के विफल हो जाने पर उनकी अंतर-संबद्धता के स्तर के अनुरूप वित्तीय प्रणाली में कमजोरियां पैदा होती हैं। अंतर-बैंक एक्सपोजरों के संबंध में विनियामक सीमाएं रहने के चलते संक्रमण प्रभाव को तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर ढंग से रोका गया। यदि अन्य संस्थाओं, जैसे कि अन्य बैंकों, एनबीएफसी और म्यूच्युअल फंडों को विश्लेषण में शामिल किया जाए तो यह प्रभाव और गंभीर हो सकता है।

वर्तमान तथा उभरता परिदृश्य बैंकों के लिए सुदृढ़ कारोबारी संभावनाएं प्रस्तुत करता है

1.9 उभरता आर्थिक परिदृश्य भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के लिए कई संभावनाएं प्रस्तुत करता है। संभावित आर्थिक निष्पादन, अनुकूल जनसांख्यिकीय लाभ के कारण बचतों में होनेवाली सुदृढ़ वृद्धि, भौतिक मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के प्रति दिया गया बल तथा वित्तीय वंचन का स्तर, जिसे अभी पाटना है, आदि ऐसे कारक हैं जिनसे मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी। इन संभावनाओं तथा अपनी सुदृढ़ता का लाभ उठाने के लिए भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनना होगा। रणनीतिगत दृष्टिकोण से प्रतिस्पर्धा का लाभ तभी मिल सकेगा जब मात्रा, संभावना, विवेक तथा ज्ञान जैसे कारकों में संतुलन स्थापित हो।

3. रणनीतिगत तथा परिचालनात्मक अनुक्रिया

भारत में वित्तीय संगुटों का होल्डिंग कंपनी ढांचे में परिवर्तन

1.10 इस समय भारत में अधिकांश वित्तीय समूह बैंकों के अधीन हैं और इनका परिचालन बैंक सब्सिडियरी मॉडल के अंतर्गत किया जाता है। इस मॉडल में सब्सिडियरियों के कंपनी अभिशासन, कार्यनिष्पादन तथा पूंजी आवश्यकता के लिए मूल बैंक जिम्मेदार होता है। इसके अलावा, इसमें मूल बैंक के लिए प्रतिष्ठा संबंधी पर्याप्त जोखिम भी जुड़ा होता है। 'भारत में बैंकों के लिए होल्डिंग कंपनी ढांचे की शुरुआत' संबंधी कार्यदल ने प्रमुख वित्तीय संगुटों को होल्डिंग कंपनी ढांचे की ओर आगे बढ़ने की सिफारिश की है ताकि इन खामियों को कुछ हद तक दूर किया जा सके। सिफारिशों के कार्यान्वयन में आने वाली मुख्य चुनौतियों में वित्तीय होल्डिंग कंपनियों के कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिए नये कानून बनाना, समुचित कर व्यवस्था के जरिए विद्यमान वित्तीय संगुटों को समुचित प्रोत्साहन देना तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले में रणनीतिगत एवं सार्वजनिक नीति संबंधी मुद्दों का सरकार द्वारा समाधान किया जाना शामिल हैं।

जोखिमों के कुशल प्रबंधन के लिए नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत करना

1.11 नवोन्मेषी वित्तीय उत्पादों की शुरुआत करना बैंकिंग कारोबार से जुड़े जोखिमों के प्रबंधन का कुशल तरीका है। इस दृष्टि से 24

अक्तूबर 2011से ऋण चूक अदला-बदली (सीडीएस) व्यवस्था की शुरुआत करने का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है। परंतु, सीडीएस की जटिल प्रकृति को देखते हुए इसका उपयोग सूचीबद्ध कंपनी बांडों, इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के गैर सूचीबद्ध परंतु रेटिंग किए गए बांडों तथा संदर्भगत दायित्व के रूप में इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों द्वारा स्थापित विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) द्वारा जारी किए गए गैर-सूचीबद्ध / रेटिंग न किए गए बांडों के लिए ही किया जा सकता है एवं संदर्भगत संस्था एकल कानूनी निवासी होनी चाहिए। दिशानिर्देशों के अनुसार बाजार सहभागियों को सुदृढ़ तथा समुचित जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है। जोखिमों के नए क्षेत्रों तथा नए तत्वों के प्रबंधन हेतु नए प्रकार के कौशल की जरूरत होगी और यह समस्या अति उन्नत बैंकों के सम्मुख भी बनी हुई है। नवोन्मेषी वित्तीय उत्पाद लाते समय प्रतिपक्षी तथा संबद्ध जोखिमों के सटीक आकलन की जरूरत पड़ती है। बैंकों को जोखिम प्रबंधन की अपनी दक्षता के पुनर्मूल्यांकन के लिए एक दृष्टिकोण अपनाना होता है जिसमें पारदर्शिता, ढांचागत संपूर्णता तथा परिचालनात्मक नियंत्रण के उच्चतर स्तर की अपेक्षा रहती है। जहां बाजारों का विस्तार करना संस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है वहीं बैंकों के लिए यह भी चुनौती होगी कि किस प्रकार सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करके अपने परिचालनों को सुरक्षित रखा जाए और यह प्रणाली न केवल कारोबार को संरक्षण देनेवाली हो बल्कि समावेशी होने के साथ-साथ कारोबार को बढ़ाने में भी सहायक हो।

आस्तियों की गुणवत्ता का प्रबंधन

1.12 सकल अनर्जक आस्तियां प्रतिशत के रूप में जहां मार्च 1997 के 15.70 प्रतिशत से घटकर मार्च 2011 में 2.25 प्रतिशत हो गई, परंतु यह प्रवृत्ति इसके पीछे की वास्तविकताओं को पूर्णतः उजागर नहीं करती तथा कुछ प्रवृत्तियां चिंता का कारण बनी हुई हैं जो भविष्य में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती हैं। उच्च ऋण विस्तार की अवधि में उधारियों में वृद्धि के बाद जब संकट का दौर आया तो सकल अनर्जक आस्तियों का अनुपात मार्च 2008 के अंत के 1.81 प्रतिशत से तेजी से बढ़कर मार्च 2010 के अंत में 2.21 प्रतिशत हो गया, परंतु उसके बाद 2011 में यह मामूली घटकर 2.01 प्रतिशत रह गया। चिंता की बात यह है कि 2007-08 से स्थिति में जो गिरावट आई है उसमें सुधार नहीं हुआ है। बढ़ती ब्याज दरों के चलते तथा संकट के दौरान किये गये पुनर्गठन के कार्य को सावधानीपूर्वक आगे नहीं बढ़ाया गया तो बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, ब्याज दर के बदले हुए माहौल में बैंकों की आस्तियों की गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऐसे माहौल में छोटे तथा मध्यम दर्जे के उद्यमों के अशोध्य ऋण पोर्टफोलियो में वृद्धि हो सकती है। अतः, बैंकों को चाहिए कि वे अपनी अनर्जक आस्तियों की समस्या के समाधान हेतु प्रयास तेज करें और अपनी कर्ज जोखिम प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाएं।

सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन तथा आपदा के बाद बहाली

1.13 रिटेल एवं अंतर सस्थागत तथा अंतर बैंक बाजारों में लेन-देनों की प्रोसेसिंग हेतु प्रौद्योगिकी प्रणाली के अत्यधिक उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि इन प्रणालियों की उपलब्धता पर्याप्त हो एवं इनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि भारत में वित्तीय बाजारों तथा बैंकिंग उद्योग में सुचारु रूप से कामकाज चलाने के लिए इनपर पड़ने वाले दबावों को ये संभाल सकें। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रबंधित डेटा केन्द्रों एवं भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फिनेट), जो कि बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास तथा अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) द्वारा प्रबंधित वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का मूल माध्यम है, ने वर्ष के दौरान इस क्षेत्र में सुदृढ़ समर्थन देना जारी रखा। तत्काल समय सकल निपटान (आरटीजीएस) प्रणाली एवं लोक ऋण कार्यालय-तयशुदा लेनदेन प्रणाली (पीडीओ-एनडीएस) अप्लिकेशनों के सॉफ्टवेयरों में परिवर्तन किया गया ताकि इनके कार्यनिष्पादन को बढ़ाने के साथ-साथ इनमें नयी सुविधाएं भी जोड़ी जा सकें। उन्नत प्रौद्योगिकी तथा नई सुविधाओं के साथ आरटीजीएस की अगली पीढ़ी पर भी कार्य चल रहा है जिसमें उन्नत चलनिधि प्रबंधन सुविधा; आईएसओ 2002 समर्थित एक्सटेंसिबल मार्कअप लैग्वेज आधारित मैसेजिंग प्रणाली तथा तत्काल समय सूचना एवं लेनदेन निगरानी व नियंत्रण प्रणाली जैसी विशेषताएं होंगी। साझे इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा भुगतान और निपटान प्रणालियों के कारोबार निरंतरता प्रबंधन एवं आपदा के बाद बहाली (बीसीपी-डीआर) की प्रभाविता के संबंध में फीडबैक तथा आश्वासन प्राप्त करने के लिए नियमित ड्रिल किये गये। वाणिज्य बैंकों द्वारा उनके स्तर पर किये गये बीसीपी-डीआर तथा संवेदनशीलता विश्लेषण व

पेनिट्रेशन टेस्टिंग(वीएपीटी) की तिमाही रिपोर्ट भी प्राप्त की जाती है तथा इनमें शामिल मुद्दों को नियमित अंतरालों पर जारी की जाने वाली वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में विश्लेषण के इनपुट के रूप में शामिल किया जाता है।

4. चुनौतियां

भारतीय बैंकों की दक्षता संबंधी मानदंडों में और सुधार किये जाने की आवश्यकता

1.14 पिछले 15 वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र ने उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। उत्पादकता/दक्षता संबंधी अधिकांश संकेतक वैश्विक स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। प्रौद्योगिकी के उन्नयन तथा स्टाफ के पुनर्गठन के चलते हाल के वर्षों में विशेष रूप से बैंकों की परिचालनात्मक दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। परंतु, उच्च तथा समावेशी वृद्धि को बनाए रखने के लिए देशी बचत के स्तर को बढ़ाने एवं इसे निवेश में लगाने की जरूरत है। इसका तात्पर्य है कि बैंकों को जमाकर्ताओं को दी जाने वाली ब्याज दरों को आकर्षक बनाने तथा उधारकर्ताओं पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों को कम करने, अर्थात् निवल ब्याज अंतर (एनआईएम) में कमी लाने की आवश्यकता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का निवल ब्याज अंतर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों को दिये जाने वाले उधार, सरकार के गरीबी-रोधी प्रयासों के अंतर्गत कर्ज सहायता संबंधी सामाजिक क्षेत्र के अनिवार्य दायित्वों को हिसाब में लेन के बाद भी, कुछ अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अधिक है।

1.15 इस समय सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य यह है कि परिचालन लागत अर्थात् मजदूरी तथा वेतन सहित ब्याज से इतर व्यय, लेनदेन लागत तथा प्रावधान संबंधी व्यय को अधिक से अधिक सीमित करके अब तक प्राप्त की गयी सफलता से आगे किस प्रकार परिचालनात्मक दक्षता में सुधार किया जाए। इससे बैंकों को अपनी लाभप्रदता को बनाए रखते हुए उधार की दरों को कम करने में मदद मिलेगी। यदि वित्तीय समावेशन को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो इससे बैंकों को कम लागत वाली निधि पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। इससे बैंको को कम मात्रा वाले खंड में उधार देने का अवसर भी प्राप्त होगा। कम मात्रा वाले खंड में उधार देना इसलिए भी संभव होगा क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने कम राशि के कर्ज पर लगायी जाने वाली ब्याज दरों को विनियमित कर दिया है। वित्तीय समावेशन को लाभजनक तरीके से लागू करने के लिए बैंकों को अपने कारोबारी मॉडलों में निरंतर सुधार करना होगा तथा तेजी से ढांचागत रूपांतरण के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की मांग के अनुसार अपने उत्पादों एवं सेवाओं की डिजाइन करनी होगी।

समावेशी वृद्धि को और सुदृढ़ करने की दिशा में आने वाली चुनौतियां

1.16 बैंकिंग क्षेत्र समावेशी वृद्धि का प्रमुख माध्यम है। समावेशी वृद्धि को आगे बढ़ाने में मांग तथा आपूर्ति पक्षीय कारकों की भूमिका रहती है। बैंकों तथा वित्तीय सेवाओं से जुड़े अन्य खिलाड़ियों से मुख्यतः यह अपेक्षा की जाती है कि वे आपूर्ति पक्षीय प्रक्रियाओं से जुड़ी उन समस्याओं को कम करेंगे जिनके चलते गरीबों तथा कम अवसरप्राप्त सामाजिक समूहों को वित्तीय प्रणाली तक पहुंचने में बाधाएं आती हैं। बैंकों को सूचित किया गया कि वे बिजनेस कॉरेस्पोंडेंटों पर निरंतर निगरानी रखें । उन्हें सूचित किया गया कि भविष्य में वे मूल शाखा तथा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट वाले स्थान के बीच किसी प्रकार की कम लागत वाली भवनयुक्त शाखा खोलें। इसके अलावा, बैंकों को चाहिए कि वे नो-फ्रिल खातों में लेनदेनों की संख्या में वृद्धि करें। वित्तीय समावेशन के सर्वर और उनके कोर बैंकिंग वाले आंतरिक सर्वर (सीबीएस) के बीच व्यवधानरहित समन्वय होना चाहिए और इंड-टू-इंड सॉल्यूशन के मामले में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के प्रौद्योगिकी संबंधित कार्यकलापों और उनके सेवा प्रदाताओं के कार्यकलापों के बीच स्पष्ट सीमा होनी चाहिए । परंतु, बैंकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि समावेशी वृद्धि के लिए आपूर्ति पक्षीय कारकों के अलावा कम आय तथा/अथवा आस्ति धारिता जैसे मांग पक्षीय कारकों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण होती है।

1.17 वित्तीय समावेशन की रणनीति को सफल बनाने के लिए बैंकों को संभावित ग्राहकों के विभिन्न आचरणगत तथा प्रेरणात्मक विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए। इस समय वित्तीय उत्पादों का लाभ प्राप्त करने के मार्ग में कुछ कारक व्यवधान बने हुए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैंः वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता की कमी, महंगे उत्पाद, लेनदेन की उच्च लागत तथा ऐसे उत्पाद जो सुविधाजनक न हो, जिनमें लचीलापन न हो, जो जरूरत के मुताबिक न

हो तथा कम गुणवत्ता वाली हो। अगली सदी की प्रमुख चुनौती असंगठित क्षेत्र, माइक्रो एवं लघु व्यापार क्षेत्र के लोगों, छोटे तथा सीमांत किसानों एवं कृषि क्षेत्र के ग्रामीण बटाईदार जैसे लाखों लोगों को वित्तपोषण करने की है। अन्य चुनौतियों में कम आय वर्ग के परिवारों की किफायती आवास एवं शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना शामिल है।

बैंकों में प्रभावी कंपनी अभिशासन की जरूरत

1.18 बैंक अन्य कंपनियों से कई महत्त्वपूर्ण मामलों में भिन्न होते हैं, इसलिए बैंकों के कंपनी अभिशासन का मुद्दा अन्यों की तुलना में न केवल भिन्न होता है बल्कि अधिक महत्त्वपूर्ण भी होता है। बैंक आर्थिक वृद्धि में मदद करते हैं, वे मौद्रिक नीति के संचरण के माध्यम हैं और अर्थव्यवस्था की भुगतान तथा निपटान प्रणाली के आधार है। अपनी कारोबार की प्रकृति के अनुसार बैंक अत्यधिक लीवरेज वाली संस्था होते हैं। वे न्यासीय हैसियत में भारी मात्रा में जनता से गैर जमानती निधियां तथा जमाराशियां स्वीकार करते हैं और कर्ज के निर्माण के जरिए इन निधियों को और बढ़ाते हैं। बैंक आपस में विविध एवं जटिल प्रकार से अपारदर्शी रूप में जुड़े होते हैं और यह स्थिति उनकी 'संक्रमण' की संभावना को रेखांकित करती है। यदि कोई कंपनी फेल होती है तो उसका असर उसके हितधारकों तक ही सीमित रहता है। यदि बैंक फेल होता है तो उसका असर शीघ्र ही अन्य बैंकों पर भी पड़ता है जिसका समग्र वित्तीय प्रणाली तथा समस्त अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम होता है। जहां बैंकों में सुदृढ़ कंपनी अभिशासन सुनिश्चित करने के लिए विनियमन की भूमिका होती है वहीं विचारणीय मुद्दा यह है कि प्रभावी विनियमन की आवश्यकता तो है परंतु बेहतर कंपनी अभिशासन के लिए यही एकमात्र आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में भारत में बैंकों में कंपनी अभिशासन से जुड़े मुद्दों में बैंकों का स्वामित्व, जवाबदेही, पारदर्शिता, आचार नीति, क्षतिपूर्ति, बैंकों के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पदों को अलग-अलग करना तथा वित्तीय होल्डिंग कंपनी ढांचे में कंपनी अभिशासन, शामिल हैं जिनपर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों की समीक्षा की जरूरत

1.19 वर्तमान की सांविधिक व्यवस्था जटिल प्रकार की है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र के अलग-अलग खंडों के नियंत्रण के लिए अलग-अलग कानून बने हुए हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 से नियंत्रित होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक तथा उसके अनुषंगी बैंक उनके संबंधित विधानों से नियंत्रित होते हैं। निजी क्षेत्र के बैंक कंपनी अधिनियम, 1956 तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के दायरे में आते हैं। वे विदेशी बैंक भी बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अंतर्गत आते हैं जिन्होंने अपने दस्तावेज कंपनी अधिनियम की धारा 592 के अंतर्गत पंजीकृत करा रखे हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भी लागू किये गये हैं। उसी प्रकार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम के कुछ प्रावधान भी राष्ट्रीयकृत बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों पर भी लागू होते हैं। विशिष्ट प्रकार के विभिन्न कानूनों के बावजूद इस कानूनी व्यवस्था ने व्यवस्थित बैंकिंग प्रणाली को बनाए रखने में मदद करके प्रणाली को लाभ पहुंचाया है। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि प्रत्येक कानून उस समय की आवश्यकता और चिंताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया था। परिस्थितियों में हुए बदलाव एवं संदर्भों को ध्यान में रखते हुए लगभग सभी कानूनों में समय-समय पर संशोधन करना पड़ा। कई कारणों से इन सभी कानूनों की समीक्षा करके इन्हें नए सिरे से तैयार करने की सख्त जरूरत है। इस बात की भी जरूरत है कि बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले मूल कानूनों तथा बैंकिंग क्षेत्र पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के बीच जो विसंगतियां हैं, उन्हें दूर किया जाए। सरकार द्वारा ''वित्तीय क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार इस क्षेत्र के कानूनों को संशोधित करने एवं उन्हें नए सिरे से लिखने" के लिए वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग गठित करने का जो निर्णय लिया गया है वह अत्यंत सामयिक तथा महत्त्वपूर्ण है। परंतु यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि नीति अथवा विनियामक ढांचे में बदलाव का विषय विधान सुधार आयोग की सीमा से बाहर नहीं होना चाहिए। बल्कि आयोग के कार्य के शुरुआती चरण के रूप में इन विषयों पर बहस करके निर्णय लिया जाना चाहिए ताकि आयोग को नीति संबंधी दिशा के बार में स्पष्ट अधिदेश हो।

क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक आकार का बनने के लिए प्रयास करना चाहिए?

1.20 हाल में इस बात पर बहस चल रही है कि क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक बैंक का स्वरूप लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। इस

संदर्भ में संबंधित लाभ तथा हानियों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और इस चाहत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हैसियत के अनुरूप देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में ऐसे दो विशिष्ट प्रश्न हैं जिनके बारे में स्पष्टता की जरूरत हैः (i) क्या भारतीय बैंक वैश्विक आकार का बनने का प्रयास कर सकते हैं? और (ii) क्या भारतीय बैंकों को वैश्विक आकार का बैंक बनने का प्रयास करना चाहिए? पहले प्रश्न के संबंध में इस बात की संभावना नहीं है कि युक्तिसंगत समेकन के बाद भी कोई भी भारतीय बैंक विश्व के शीर्ष के दस बैंकों की सूची में आ सकता है। दूसरे प्रश्न के संदर्भ में जो यह मानते हैं कि बैंकों को वैश्विक स्तर का होना चाहिए उनका तर्क है कि वैश्विक शीर्षता के क्रम में हमारे बैंकों के आकार का मुद्दा उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परंतु जरूरत इस बात की है कि भारतीय बैंकों की वैश्विक स्तर पर उपस्थिति अच्छी होनी चाहिए। मुख्य तर्क यह है कि भारतीय कंपनियों के बढ़ते वैश्विक आकार तथा प्रभाव को देखते हुए भारतीय बैंकों की वैश्विक स्तर पर तदनुरूप उपस्थिति में वृद्धि होनी चाहिए। इससे विपरीत विचारधारा यह है कि भारतीय बैंकों को बाहर के बजाय अंदर की ओर देखना चाहिए और वैश्विक आकार का बैंक बनने की चाह रखने के बजाय उन्हें वित्तीय गहनता को बढ़ाने की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बीच का रास्ता भी अपनाया जा सकता है कि वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए बाहर की ओर देखना और वित्तीय पैठ को बढ़ाने के लिए अंदर की ओर देखना आपस में विपरीत विचार-धारा नहीं है, बल्कि दोनों को एक साथ लक्षित करना संभव है। हमारे बैंकों का विदेशों में जिस तेजी से विस्तार हो रहा था वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान उसमें विराम आया। फिर भी, जोखिमों के बावजूद कुछ बड़े बैंकों को अपनी सुदृढ़ता केअवसर की तलाश में बाहर की ओर देखने का यही सही समय होगा। अतः इस चर्चा का सार यह है कि भारतीय बैंकों को वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। तेजी से बदल रहे वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में भारतीय बैंकों के लिए जरूरी है कि वे वैश्विक स्तर पर सोचें परंतु स्थानीय स्तर के अनुसार कार्य करें।

बैंकिंग के स्वरूप को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के लाभ एवं जोखिम

1.21 प्रौद्योगिकी के उपयोग ने भारत में बैंकिंग के स्वरूप को बदल दिया है। बैंकिंग के कारोबार में प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग ने कुछ नये मुद्दों तथा चुनौतियों को सामने ला दिया है। इनको मोटे तौर पर लागत तथा जोखिम के रूप में दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। लागत इस रूप में कि आईटी को लगाने से व्यय में वृद्धि होती है तथा और जोखिम इस रूप में कि आवश्यक बचाव व्यवस्था के बिना आईटी प्रणालियों पर निर्भरता से जोखिम में बढ़ोतरी होती है। लागत संबंधी मुद्दे का समाधान आईटी को लगाने के लक्ष्य को कारोबार के व्यापक एवं रणनीतिगत लक्ष्यों के साथ सामंजस्य रखते हुए पूरा किया जा सकता है ताकि इनकी खरीद तथा समुचित प्रौद्योगिकीय समाधान के रखरखाव पर परिचालनात्मक एवं प्रबंधन संबंधी पर्याप्त नियंत्रण रखा जा सके। प्रौद्योगिकी जोखिम से जुड़ा हुआ दूसरा पक्ष अति महत्त्वपूर्ण है। आईटी के बढ़ते उपयोग के साथ बैंकों तथा उनके ग्राहकों के लिए भी जोखिम जुड़ा हुआ है जो मौद्रिक हानि, डेटा की चोरी, गोपनीयता के भंग के रूप में हो सकता है तथा बैंकों को ऐसे जोखिमों के बारे में स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। बैंकिंग कारोबार का अन्य उल्लेखनीय पक्ष विनियामक तथा पर्यवेक्षी अनुपालन का है। सामान्यतः बाजारों के वैश्वीकरण में वृद्धि होने एवं विशेष रूप से हाल के संकट के बाद इस तरह के अनुपालन की अपेक्षाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। बासेल II तथा III के कार्यान्वयन के साथ बड़ी चुनौती जुड़ी हुई है। बैंकों ने प्रौद्योगिकी को अपनाया तो है परंतु प्रौद्योगिकी का लाभ लागत, गति एवं सुविधा की दृष्टि से पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। प्रौद्योगिकी से मिलने वाले लाभों को ग्राहकों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है।

भुगतान प्रणालियों की उभरती प्रवृत्तियां तथा उनसे जुड़ी चुनौतियां

1.22 बाजार तथा वित्तीय स्थिरता के साथ-साथ आर्थिक दक्षता एवं वित्तीय बाजारों के कुशलतापूर्वक कार्यकलाप हेतु यह आवश्यक है कि समर्थनकारी भुगतान तथा निपटान प्रणाली सुचारु रूप से कार्य करें। वित्तीय क्षेत्र, तथा भुगतान तथा निपटान प्रणाली का ढांचा वास्तविक क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप होना चाहिए। भुगतान प्रणालियों का बदलता परिदृश्य इस उद्योग के सभी खंडों के लिए नई चुनौतियों के साथ-साथ अवसर भी पैदा करता है। नए उत्पादों से प्राप्त हुए अवसरों का लाभ उठाते समय प्रणाली प्रदाताओं/बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इनसे जुड़ी चुनौतियों का पर्याप्त रूप से समाधान कर लिया जाता है। इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये उत्पाद

जनता के सभी वर्गों को उपलब्ध हो और इन उत्पादों को लेने के लिए प्रोत्साहन हो। विनियामक प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए जो कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए नई प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में होने वाली नियमित गतिविधियों का समर्थन करती हो। इस संदर्भ में महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि बैंक किस प्रकार किफायती, सुरक्षित एवं तीव्रता से तथा व्यवधान रहित तरीके से कार्य करने वाला भुगतान तथा निपटान संबंधी उत्पाद तथा समाधान उपलब्ध कराते हैं।

वित्तीय स्थिरता से जुड़ी कुछ चिंताएं

1.23 वैश्विक समष्टि-वित्तीय परिवेश के कमजोर रहने के बावजूद भारत का समष्टि-आर्थिक आधार सुदृढ़ रहा। इसके अलावा, दिसंबर 2010 से वित्तीय बाजार दबावों से मुक्त रहे तथा वित्तीय स्थिरता संकेतक के पूर्वानुमान के आंकड़े दर्शाते हैं कि ये अल्पावधि में सुस्थिर बने रहेंगे। वित्तीय स्थिरता के संबंध में कुछ उभरती हुई चिंताओं की प्रवृत्तियां हैं (i)वस्तुओं के बढ़ते वित्तीयकरण का असर वित्तीय बाजारों तक फैलने की संभावना, (ii) उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ब्याज दरों में अंतर जिसके कारण भारतीय कंपनियों द्वारा विदेश में निधीयन को बढ़ावा मिल सकता है जिसके चलते मुद्राओं में असंतुलन की स्थिति पैदा हो सकती है, (iii) विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों (एफसीसीबी) की परिपक्वता का रोलओवर जोखिम जिसके कारण उच्चतर ब्याज दरों पर वित्तपोषण की जरूरत पड़ सकती हैं, तथा (iv) आस्ति-देयता में असंतुलन के साथ चार विशिष्ट क्षेत्रों अर्थात् स्थावर संपदा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, एनबीएफसी तथा खुदरा क्रेडिट में बैंक कर्ज की असमानुपातिक वृद्धि, उधार ली गई निधियों पर निर्भरता तथा अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान संबंधी बढ़ी हुई अपेक्षाएं। दबाव परीक्षणों से ज्ञात होता है कि बैंकिंग क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है तथा वह आस्तियों की गुणवत्ता संबंधी आघातों एवं समष्टि आर्थिक परिदृश्य में हो सकने वाले प्रतिकूल परिवर्तनों के प्रति सुदृढ़ है। वित्तीय स्थिरता को प्रभावित करने वाले एनबीएफसी क्षेत्र की विनियामक खामियों से जुड़े मुद्दों का समाधान विनियमन की परिसीमा में वृद्धि करके किया जा रहा है जबकि देशी केंद्रीय प्रतिपक्षियों की चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की खामियों को बेल-आउट की नई व्यवस्था की दृष्टि से आंका जा रहा है।

5. भावी मार्ग

1.24 जहां बैंकों की और आगे बढ़ने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है वहीं उन्हें आगे बढ़ते समय नई चुनौतियों का भी सामना करना होगा। बचत बैंक जमाराशि दरों के अविनियमन संबंधी 25 अक्तूबर 2011 की हाल की घोषणा से शुरू में कुछ प्रतिस्पर्धा हो सकती है, क्योंकि जिन बैंकों के पास बचत जमाराशि कम हैं वे ऐसी बचत जमाराशियों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करेने का प्रयास करेंगे। तथापि, यह प्रक्रिया व्यवधान पैदा करनेवाली नहीं होनी चाहिए। पेंशन देयताओं के लिए किये गये प्रावधान एवं रिटेल तथा स्थावर संपदा जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में वृद्धिशील रूप में ऋण पोर्टफोलियो की उच्च वृद्धि में आई नरमी के चलते लाभप्रदता प्रभावित हो सकती है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को भारी मात्रा में तथा तीव्र गति से दिये गये ऋण से जुड़ा एक विशिष्ट विषय चिंता के रूप में उभरकर आया है जो भविष्य में चूक की बढ़ती घटनाओं की आशंकाओं को जन्म देता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वित्तीय समावेशन एवं प्रौद्योगिकी और उत्पादों को नया स्वरूप देकर बेहतर ऋण सुविधाएं देने के जरिए वृद्धि को समर्थन देने की बढ़ती जरूरत के रूप में बैंकों को चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा।

1.25 इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि वित्तीय प्रणाली के और अधिक वैश्वीकरण, समेकन, विनियमन तथा विविधीकरण से बैंकिंग कारोबार अधिक जटिल तथा जोखिम भरा होने जा रहा है। जटिल प्रकार का जोखिम प्रबंधन, समुचित चलनिधि प्रबंधन एवं दक्षता में वृद्धि जैसे कतिपय चुनौतियां भारतीय संदर्भ में पहले ही दिखाई देने लगी हैं। हाल के समय में बैंकों तथा वित्तीय बाजारों के बीच के संबंधों में मौलिक बदलाव आया है। बैंक वित्तीय बाजारों के साथ और अधिक निकटता से जुड़ गए हैं जिसके चलते वे वित्तीय बाजारों में होने वाले दबावों से अधिक प्रभावित होंगे। जहां आईटी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास ने बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में उल्लेखनीय सुधार ला दिया है वहीं बैंक कारोबार प्रक्रिया की रिइंजीनियरिंग के अभाव में दक्षताओं में हुई वृद्धि का लाभ पूरी तरह उठा नहीं सके हैं। चुनौती इस बात की है कि वृद्धि, दक्षता और जोखिम प्रबंधन के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने के लिए किस प्रकार प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

मध्यावधि परिदृश्य

1.26 नई चुनौतियों का समाधान करते हुए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया का महत्त्व निर्विवाद है। बैंकों को चार सिद्धांतों अर्थात दक्षता, स्थिरता, पारदर्शिता और समावेशन की नींव पर स्वयं को स्थापित करना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र संबंधी विकास की रणनीति के जरिए जिन तीन संतुलनकारी कार्यों को किया जाना है वे हैं :बैंकिंग क्षेत्र की वृद्धि के प्रेरक तत्त्वों एवं वृद्धि तथा विकास की वृहत्तर कार्यसूची की जरूरत के बीच संतुलन; भारी स्तर पर वैश्विक एकीकरण के लाभों तथा जोखिमों के बीच संतुलन; तथा मात्रात्मक लाभ एवं विविधता की अनिवार्यताओं के बीच संतुलन। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है अर्थव्यवस्था का प्रत्याशित निष्पादन, अच्छी बचत, इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार हेतु दिए गए नीतिगत बल तथा वित्तीय समावेशन में हुए और सुधार से आशा है कि मध्यावधि में बैंकिंग क्षेत्र में सुदृढ़ वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

1.27 परंतु दीर्घावधि में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र के सामने महत्त्वपूर्ण कार्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग उत्पाद एवं सेवाएं ठीक प्रकार से उपलब्ध हों ताकि वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा किया जा सके। आगे चलकर 'वित्तीय वंचन' की खाई को पाटना बैंकों का महत्त्वपूर्ण दायित्व होगा। सभी चुनौतियों तथा समाधान किये जाने वाले मुद्दों के बावजूद, भारत का बैंकिंग क्षेत्र अपनी दीर्घावधि वृद्धि की चाहत को पूरा करने के लिए अपनी प्रचुर संभावनाओं की ओर ध्यान दे सकता है। अतः बैंकिंग क्षेत्र को देश के विनियमों का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ प्रथाओं को ग्रहण करके समावेशन, नवोन्मेष तथा विविधीकरण के जरिए वृद्धि पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।